

राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2015-16 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की रिटेल आफ दुकानों के अनुज्ञापत्र आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें

1. पात्रता

विदेशी मदिरा एवं बीयर रिटेल आफ विक्रय हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेंगे :-

- (क) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जामिन के रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,
- (ख) वर्ष 2014-15 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2014 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि/लाईसेंस फीस की कोई राशि बकाया हो,
- (ग) कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो,
- (घ) कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत गंभीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो, अथवा उसमें सजायाब हुआ हो ।
- (ङ) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति ।

2. अवधि

अनुज्ञापत्र की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2015 से 31.3.2016) होगी।

3. आवेदन पत्र

- 3.1 आवेदन पत्र निर्धारित स्टेशनरी चार्ज रू 100/- (जो कि आवेदन शुल्क के अतिरिक्त है) जमा कराकर किसी भी जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति चाहे तो विभाग की वेबसाईट <https://rajexcise.gov.in> से आवेदन पत्र की प्रति लीगल साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे सफेद कागज पर डाउनलोड कर उसमें आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र निर्धारित साईज एवं जी.एस.एम. पर डाउनलोड नही करने पर निरस्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर आवेदन करने पर स्टेशनरी चार्ज देय नहीं होगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नही किया जायेगा।
- 3.2 जिन दुकानो हेतु यह आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, उनकी सूची संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में एवं विभाग की वेबसाईट <https://rajexcise.gov.in> पर उपलब्ध हैं।
- 3.3 पृथक – पृथक दुकान के लिये आवेदन पृथक – पृथक प्रस्तुत करना होगा ।
- 3.4 प्रति दुकान वार्षिक लाईसेन्स फीस (वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिये) निम्नानुसार निर्धारित है। आवेदक को प्रति दुकान कॉलम संख्या 6 में दर्शाया गया निर्धारित आवेदन शुल्क (non refundable) तथा कॉलम संख्या 7 के अनुसार अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

क्र. सं.	शहर का विवरण	वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित वार्षिक फीस (लाख रू0 में)			आवेदन शुल्क (कॉलम संख्या 5 की राशि का एक प्रतिशत)	अमानत राशि (कॉलम संख्या 5 की राशि का पांच प्रतिशत)
		बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.3 एवं 4 का योग		
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर व जोधपुर	8.00	12.00	20.00	20,000/-	100,000/-
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	6.50	9.75	16.25	16250/-	81250/-

3.	अलवर, सीकर, भीलवाडा, पाली एवं श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय	5.00	7.50	12.50	12500 / -	62500 / -
4.	अन्य जिला मुख्यालय	4.20	6.30	10.50	10500 / -	52500 / -
5.	अन्य नगरपालिकाएँ एवं सागवाड़ा तथा रावतभाटा नगर पालिका (राज्य में स्थित "चतुर्थ श्रेणी" नगर पालिकाओं को छोड़कर)	3.50	5.25	8.75	8750 / -	43750 / -

आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable) योग्य होगा। दुकान आवंटन की स्थिति में अमानत राशि को वार्षिक बेसिक लाईसेन्स फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। दुकान आवंटन नहीं होने की स्थिति में तथा अन्यथा समयोजन नहीं होने की स्थिति में अमानत राशि का ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा।

- 3.5 आवेदक भागीदार फर्म होने की दशा में उसे अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व पार्टनरशिप डीड की प्रति विभाग को प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- 3.6 आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये आवेदन पत्र पर ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये। आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करना होगा अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक को आवेदन पत्र के भाग – I व II की सही पूर्ति कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 3.7 आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नाम व पते के सत्यापन हेतु निवास प्रमाण पत्र / टेलिफोन बिल / बिजली बिल / क्रेडिट कार्ड / आयकर विभाग का पेन कार्ड / निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र / आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करेगा।
- 3.8 आवेदन पत्र के भाग – I पर आवेदक अपने हस्ताक्षर किसी राजकीय विभाग के अधिकारी / निरीक्षक अथवा ग्राम सेवक / पटवारी अथवा नगर पालिका / परिषद / निगम / पंचायत समिति / जिला परिषद के सदस्य से प्रमाणित करवायेगा।

- 3.9 आवेदक को आवेदन पत्र के भाग I व III पर अपने स्व – हस्ताक्षरित फोटो लगाने होंगे ।
- 3.10 जो आवेदन अपूर्ण होंगे अथवा जिसके लिये निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया हो, ऐसे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
- 3.11 वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरो में शहर के जोन गठित किये गये हैं। अतः ऐसे शहरो की दुकानों हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र में शहर के नाम के साथ जोन (जिसमें वह दुकान लगाने हेतु आवेदन कर रहा है) की संख्या का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा । ऐसे शहरो के लिये जोन संख्या का उल्लेख नहीं होने या अस्पष्टता होने पर ऐसे आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्देशित जोन हेतु आवेदन मान लिया जायेगा एवं आवेदक की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी ।

4. लाईसेंस फीस

विदेशी मदिरा व बीयर रिटेल आफ दुकानों हेतु वार्षिक लाईसेंस फीस (वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिये) की राशि निम्न अनुसार है, जिसे बिन्दु संख्या 6 में निर्धारित समयावधि में जमा कराना अनिवार्य है :-

क्र. सं.	शहर का विवरण	वर्ष 2014-15 के लिये निर्धारित वार्षिक फीस (लाख रू0 में)		
		बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.3 एवं 4 का योग
1	2	3	4	5
1.	जयपुर व जोधपुर	8.00	12.00	20.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	6.50	9.75	16.25
3.	अलवर, सीकर, भीलवाडा, पाली एवं श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय	5.00	7.50	12.50
4.	अन्य जिला मुख्यालय	4.20	6.30	10.50
5.	अन्य नगरपालिकाएँ एवं सागवाड़ा तथा रावतभाटा नगर पालिका (राज्य में स्थित "चतुर्थ श्रेणी" नगर पालिकाओं को छोड़कर)	3.50	5.25	8.75

4.1 न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस

- 4.1.1 वर्ष 2015-16 के लिए उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 4 में अंकित विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष में भुगतान की गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की राशि, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के लिए निर्धारित प्रति बल्क लीटर स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे (जो कि अनुज्ञाधारी द्वारा देय है) सम्बन्धित वर्ष में ही समायोजित की जायेगी। सम्बन्धित वर्ष में उक्त समायोजन के पश्चात अनुज्ञाधारी को भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के निर्गम पर निर्धारित दर से स्पेशल वेण्ड फीस अलग से जमा करवानी होगी।
- 4.1.2 प्रत्येक जिले में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के त्रैमासिक उठाव की औसत वृद्धि की 20 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ एवं परिधिय क्षेत्र के कम्पोजिट की दुकान के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा बिन्दु संख्या 4 के कॉलम संख्या 4 में जमा कराई गई न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की 5 प्रतिशत राशि के बराबर राशि त्रैमासिक राजस्व हानि की भरपाई के लिये अतिरिक्त वसूल की जायेगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात की जायेगी। एक त्रैमास में कम वृद्धि के लिये राजस्व हानि की भरपाई के लिये जमा राशि का समायोजन स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे उसी वित्तीय वर्ष की आगामी अवधि में दिया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगे।
- 4.1.3 दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ के अनुज्ञाधारियों को रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) राशि के राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैंक गारन्टी सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के तीन माह बाद ही इन्हें लौटाया जा सकेगा। साथ ही अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैंक गारन्टी से आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित अनुज्ञाधारी से बकाया राशि वसूल की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगे।
- 4.1.4 शहरीय क्षेत्रों के रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों को विभागीय वेबसाईट अथवा मोबाईल एप पर मदिरा/बीयर/वाईन इत्यादि के प्रत्येक दिन की स्टॉक स्थिति अगले दिन तक विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करनी होगी।

4.2 अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य

4.2.1 भा.नि.वि.मदिरा की बोटल एवं अद्धे पर खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश 20 प्रतिशत ही रखते हुये बोटल तथा अद्धे का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य आगामी एक रूपये तक राउण्ड ऑफ किया जायेगा। इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि को खुदरा अनुज्ञाधारी के लाभांश में अतिरिक्त लाभ के रूप में शामिल किया जायेगा।

4.2.2 भा.नि.वि.मदिरा के पव्वों एव बीयर की समस्त धारिता पर खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश 23 प्रतिशत रखते हुये भा.नि.वि.मदिरा के पव्वों एव बीयर की बोटलों का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य आगामी एक रूपये तक राउण्ड ऑफ किया जायेगा। इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि खुदरा अनुज्ञाधारी के लाभांश में अतिरिक्त लाभ के रूप में शामिल किया जायेगा।

5. अमानत राशि

विदेशी मदिरा व बीयर रिटेल आफ दुकानों हेतु अमानत राशि (earnest money) संबंधित दुकान की बिन्दु संख्या 3.4 के अनुसार वार्षिक बेसिक लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग की 5 प्रतिशत राशि होगी। इस राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बनाया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। जिस आवेदन के साथ निर्धारित अमानत एवम् आवेदन शुल्क की राशि का ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा, उस पर आगे विचार नहीं किया जायेगा। जिस आवेदक का अनुज्ञापत्र हेतु चयन हो जाता है, उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि वार्षिक बेसिक लाईसेंस फीस पेटे समायोजित कर दी जायेगी।

6. लाईसेंस फीस अदायगी

6.1 विदेशी मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ दुकान के आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर 5 प्रतिशत अमानत राशि के समायोजन पश्चात् वार्षिक लाईसेंस फीस की 40 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से तीन दिन में तथा शेष 55 प्रतिशत राशि 10 दिन में अथवा दुकान संचालन से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करानी होगी।

6.2 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा अमानत राशि/वार्षिक लाईसेंस फीस राशि राज्यसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु पृथक से कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा।

7. दुकानों का संचालन

- 7.1 आवेदक को अपनी दुकान पर मात्र विदेशी मदिरा एवं बीयर बेचने की ही अनुमति होगी । आवेदक द्वारा अपनी दुकान पर मदिरा पान कराने की अनुमति नहीं होगी ।
- 7.2 अनुज्ञाधारी को अपनी समस्त आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा इस हेतु बनाये गये निगम के डिपो से ही लेनी होगी ।
- 7.3 अनुज्ञाधारी निर्धारित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य से ऊँचा मूल्य वसूल नहीं कर सकेंगे और न ही निर्धारित न्यूनतम मूल्य से नीची दर पर मदिरा का विक्रय कर सकेंगे ।
- 7.4 दुकानों के बारे में अन्य प्रावधान संलग्न अनुज्ञापत्र शर्तों में है । आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान के क्षेत्र / कस्बे / गाँव में दुकान नहीं लगा पाता है, तो भी वह लाईसेंस फीस या उसके द्वारा जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नहीं होगा ।

8. दुकानों की संख्या व अवस्थिति

विदेशी मदिरा/बीयर की अनवीनीकृत दुकानें जिनके लिये आवेदन आमन्त्रित किये जा रहे हैं उनकी अवस्थिति का अनुमोदन सम्बन्धित वार्ड में नियमानुसार निरापद स्थल के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने पर अवस्थिति/स्वीकृति स्थल पर ही दुकान लगाई जा सकेगी ।

9. आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार

- 9.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 28 के अन्तर्गत समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से आबकारी शुल्क तथा अतिरिक्त आबकारी शुल्क देय होगा । निगम द्वारा आबकारी शुल्क व अतिरिक्त आबकारी शुल्क चुकी मदिरा का ही अनुज्ञाधारियों को विक्रय किया जायेगा ।
- 9.2 अनुज्ञाधारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान भी करना होगा ।

- 9.3 विदेशी मदिरा व बीयर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दु / प्रक्रिया अनुसार 20 प्रतिशत वैट- देय होगा ।
- 9.4 अनुज्ञाधारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर देय स्पेशल वेण्ड फीस का भुगतान भी अलग से करना होगा ।
10. जिस जिले की दुकान हेतु आवेदन किया जा रहा है, आवेदन पत्र उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे । इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । किसी नगरपालिका/ नगरपरिषद / नगर निगम अथवा उसके जोन (यदि जोन है तो) हेतु निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा । किसी दुकान के लिये लॉटरी उस जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जहां पर कि वह दुकान अवस्थित होनी है ।
11. रिटेल ऑफ दुकानों का आवंटन/लॉटरी प्रक्रिया
- 11.1 उक्त पैरा संख्या 10 अनुसार लॉटरी अपेक्षित होने पर लॉटरी निकालने की यह कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संबंधित जिला मुख्यालय पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर आयोजित की जायेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी आवेदन प्राप्ति की अंतिम समय सीमा से पूर्व जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी । इस कार्यवाही के दौरान उस दुकान के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते हैं । आवेदकों को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गई रसीद (आवेदन पत्र का भाग – III) अपने साथ रखें ।
- 11.2 किसी दुकान के लिए लॉटरी निकालने के लिये उस दुकान हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग II को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी ।

- 11.3 किसी शहर / कस्बे अथवा उसके किसी जोन की दुकान हेतु प्रत्येक दुकान के लिए दुगुनी तक अतिरिक्त आवेदको की एक आरक्षित सूची (reserve list) बाबत भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूची में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में लाईसेंस फीस की राशि जमा नहीं करवाता हैं तो आरक्षित सूची में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जा सके।
12. एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार दुकान आवंटित कर दी जायेगी तथा शेष दुकानों का आवंटन आरक्षित सूची में से वरिष्ठता के क्रम में किया जायेगा। एक से अधिक दुकानों के आवंटन की सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। एक से अधिक दुकानों के आवंटन की सूचना विभाग को नहीं देने पर इसे आवेदन आमन्त्रण शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिये एक से अधिक दुकान हेतु आवेदक का चयन/स्वीकृति निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि/लाईसेन्स फीस जप्त कर ली जायेगी।
13. आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें। आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय/विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान – सरकार
आबकारी – विभाग

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान आबकारी नियम 1956
तथा राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहिःपान
अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम 1982 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा
एवं बीयर की खुदरा बिक्री (रिटेल ऑफ) के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र संख्या

दिनांक :

अनुज्ञाधारी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पूर्ण पता

उपर्युक्त व्यक्ति / व्यक्तियों को विदेशी मदिरा एवं बीयर के राजस्थान राज्य
ब्रेवरेजेज कारपोरेशन के निर्धारित गोदाम से विदेशी मदिरा एवं बीयर प्राप्त
कर ----- स्थान (मोहल्ला) ----- शहर/ गाँव
----- जिला में अवस्थित दुकान पर खुदरा विक्रय करने हेतु
दिनांक ----- से ----- तक की अवधि के लिए नीचे
वर्णित शर्तों पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है:-

1. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों आदि
की पालना :

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम
संख्या -2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956
तथा राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहिःपान अनुज्ञप्ति
प्रदाय) नियम 1982 एवं अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमत्रण बाबत दिये गये
विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस
अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द
रहेगा ।

2. लाईसेंस फीस एवं अन्य राशियां तथा उनका भुगतान :

- 2.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2015-16 (दिनांक 1.4.2015 से 31.3.2016 तक) की अवधि के लिए निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेन्ड फीस का योग) रूपये ----- (अंको में) रूपये ----- (शब्दों में) का भुगतान आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत दिशा निर्देशों में उल्लेखित अवधि में भुगतान करना होगा ।
- 2.2 उपर्युक्त राशियों के अलावा फीस एवं अन्य कर प्रभार, अगर कोई है, का नियमानुसार अलग से भुगतान करना होगा ।
- 2.3 अनुज्ञाधारी द्वारा विलम्ब से जमा करायी गयी राशि पर राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा ।
- 2.4 अनुज्ञाधारी को राजस्थान राज्य ब्रेवरेजेज कारपोरेशन से मदिरा क्रय के लिये परमिट जारी करवाते समय राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69-बी के अन्तर्गत देय फीस एवं स्पेशल वेण्ड फीस पृथक से भुगतान करनी होगी ।

3. अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :

- 3.1 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञापत्र हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा । अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञाधारी के वैध वयस्क उत्तराधिकारी को उसकी प्रार्थना पर अनुज्ञापत्र नियमानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।
- 3.2 "व्यक्तियों के समूह" के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत "व्यक्तियों के समूह" में सम्मिलित समस्त व्यक्ति सह - अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों से बाध्य होंगे । सभी सह - अनुज्ञाधारी आबकारी बकाया एवं अन्य दायित्वों के लिए संयुक्त एवं पृथक - पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे । दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नहीं रहेगा । ऐसे "व्यक्तियों के समूह" में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे ।

4. दुकान की अवस्थिति :

- 4.1 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान की अवस्थिति का अनुमोदन अपने क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी से करवाना होगा । बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकान का संचालन नहीं कर सकेगा । उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गई अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है । ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा लाइसेंस फीस व अन्य देय राशियों में छूट पाने का हकदार नहीं होगा । साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृत कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा ।
- 4.2 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा । इस प्रकार स्वीकृत दुकान को एक स्थान से उसी दुकान के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नहीं करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा लाइसेन्स फीस में छूट पाने का हकदार नहीं होगा ।
- 4.3 अनुज्ञाधारी किसी कारणवश यदि दुकान संचालित नहीं कर पाता है तो लाइसेन्स फीस एवं अन्य देय राशियों में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नहीं होगा ।
- 4.4 अनुज्ञाधारी मदिरा दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा । महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घन्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी ।
- 4.5 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नहीं लगा सकेगा । हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित

व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

- 4.6 अनुज्ञाधारी राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी तक दुकान नहीं लगा सकेगा किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्रों में या लोक निर्माण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट दूरी पर विकसित बाजार स्थित है, से गुजरने वाले उक्त मार्गों पर लागू नहीं होगी।
- 4.7 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 X 75 से. मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम व विवरण, दुकान के खुलने व बन्द होने का समय आदि का उल्लेख हों, लगाना होगा। मदिरा दुकानों का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की आला या दीवार में छेद इत्यादि नहीं होगा। दरवाजे के अलावा पूरी दुकान पुख्ता पक्की होगी। आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियों / टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा। इसके साथ ही किसी भी मदिरा के ब्राण्ड के विक्रय को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम, भेट, नजराना या प्रलोभन नहीं ले सकेगा। इसके अलावा किसी भी मदिरा ब्राण्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का विज्ञापन / छद्म विज्ञापन किसी भी रूप में नहीं करेगा।
- 4.8 दुकानों को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ – सफाई रखनी होगी। मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जाने वाली विभिन्न ब्राण्ड्स की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा। इसके अलावा दुकान के दरवाजे के पास प्रमुख मदिरा ब्राण्डों की अधिकतम खुदरा मूल्य प्रदर्शित करने वाली स्पष्ट पठनीय सूची विभाग द्वारा निर्धारित साईज की लगानी होगी। यह सूची ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहां से ग्राहक इस सूची को आसानी से पढ़ सके / देख सके।

- 4.9 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर लाइसेन्स फीस में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- 4.10 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से स्वीकृत दुकान को उस दुकान हेतु निर्धारित क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।

5. दुकानों का संचालन

- 5.1 दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 5.2 वर्ष 2015— 2016 हेतु नियत 5 शुष्क दिवस (यथा गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती हैं) को शुष्क दिवस रहेगा एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होंगी।। इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय – समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न लाइसेंस फीस की राशि में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती हैं तो भी लाइसेंस फीस की राशि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।
- 5.3 अनुज्ञाधारी बिक्री के लिए मदिरा राजस्थान राज्य ब्रेवरेजेज कारपोरेशन के निर्धारित गोदाम से ही क्रय कर सकेगा और उसे अपनी दुकान पर 'इन्वायस-कम-टी.पी' में अंकित मार्ग से नियत समय में सुरक्षित रूप से लायेगा और उसे परिवहन के दौरान साथ रखना होगा। दूसरे स्थान या किसी भी अन्य अनुज्ञाधारी से मदिरा नहीं ला सकेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही उसका विक्रय कर सकेगा।
- 5.4 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर अधिकृत रूप से क्रय की हुई विदेशी मदिरा एवं बीयर का ही विक्रय कर सकेगा।

- 5.5 अनुज्ञाधारी मदिरा लाने व बेचने के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति से ही नौकर रख सकेगा परन्तु ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक काम के लिए अनुज्ञाधारी स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थिति की अवस्था में अनुज्ञाधारी के पिता एवं अनुज्ञाधारी के वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अनुज्ञाधारी मदिरा बेचने व लाने के लिए अपनी दुकान पर किसी ऐसे व्यक्ति को नौकर नहीं रख सकेगा जिसे कोई संक्रामक रोग हो या जो आबकारी एवं फौजदारी जुर्म में आदतन अपराधी अथवा वान्टेड हो। दुकान पर मदिरा बेचान करने वाले अधिकृत नौकर को उचित वेशभूषा में रहना होगा तथा उसे अपने नाम तथा विभाग द्वारा नौकरनामे के अनुमोदन के क्रमांक व दिनांक के उल्लेख वाली पट्टिका/लेमिनेटेड कार्ड लगाना होगा।
- 5.6 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो। मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान या स्वीकृत खुदरा गोदाम पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है।
- 5.7 मदिरा का विक्रय केवल सील बन्द बोतलों / केन में ही किया जा सकेगा।
- 5.8 स्वीकृत दुकान पर किसी भी प्रकार का मदिरा पान करना/ कराना पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- 5.9 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में 6 लीटर से अधिक विदेशी मदिरा/7.8 लीटर से अधिक बीयर बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा के एक साथ नहीं बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरुद्ध वह कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।

- 5.10 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरुस्त न हो, मदिरा नहीं बेच सकेगा । इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, मदिरा नहीं बेच सकेगा । वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को जो ड्यूटी दे रहे हो, को मदिरा नहीं बेच सकेगा ।
- 5.11 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ नहीं होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हो, दुकान पर आने नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नहीं ठहरायेगा । यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा ।
- 5.12 अनुज्ञाधारी मदिरा बोतलो पर अंकित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य से ऊँचा मूल्य ग्राहको से वसूल नहीं करेगा ।

6. अभिलेखों का संधारण :

- 6.1 अनुज्ञाधारी को मदिरा की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा । व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी । यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा । प्रतिदिन का हिसाब दुकान बंद करने के साथ उसी दिन ही लिखना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा ।
- 6.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं मदिरा का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा ।

6.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को मदिरा के बचे हुए स्टॉक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी । समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा । निस्तारण होने तक बचा हुए स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्रधारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया, बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे ।

7. अनुज्ञापत्र को निरस्त करना

- 7.1 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नहीं रखता है अथवा ठीक तौर पर नहीं चलाता है अथवा किसी भी प्रकार आबकारी शुल्क व अन्य आबकारी प्रभारों की अपवचना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित है अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- 7.2 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 अथवा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उसके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- 7.3 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से मदिरा, अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

- 7.4 अनुज्ञाधारी का यह भी दायित्व होगा कि वह उसके समूह क्षेत्र में अवैध मदिरा विक्रय या गैर कानूनी मदिरा विक्रय की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को देगा । यदि यह पाया जाता है कि क्षेत्र में अवैध मदिरा विक्रय की जानकारी अनुज्ञाधारी को थी तथा इसकी सूचना वह उसके जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक को देने में असफल रहा तो ऐसे मामलो में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उसका अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा ऐसा अनुज्ञाधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा रिफण्ड प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।
- 7.5 यदि अनुज्ञाधारी विदेशी मदिरा अथवा बीयर विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाया जाता है तो यह अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। ऐसे प्रकरणों की जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेशों की पालना करने हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।
- 7.6 अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा आबकारी अधिनियम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम 1956, राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहिःपान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम, 1982 अथवा अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों अथवा समय – समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- 7.7 अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी अनुज्ञाधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अनुज्ञापत्र निरस्त कर सकेगा । अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अनुज्ञाधारी अथवा उसके वारिस किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे ।
- 7.8 अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंस फीस का कोई भी भाग वापसी योग्य नहीं होगा ।

8. बकाया राशियों की वसूली :

अनुज्ञाधारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व अथवा उस पर ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू - राजस्व की बकाया की भाँति अनुज्ञाधारियों एवं उनके वारिसों / उत्तराधिकारियों से की जायेगी । अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उसके वारिसों / उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा ।

9. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा ।

**अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर
प्रतिसंविदा**

अनुज्ञापत्र संख्या -----जिला ----- दुकान का नाम
----- मैं / हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें
निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये
गये नियमों, अनुज्ञापत्र के आवेदन आमंत्रण के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों,
हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों
की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ / करते हैं ।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

प्रति हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक
वृत्त -----

(जिला आबकारी अधिकारी)